न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 ———————— 116/2018

प्रविष्टि दिनांक ———————— 15.10.2018

निर्णय दिनांक ———————— 31.01.2020

उनवान

पांचू पुत्र जोधा जाति बैरवा निवासी अरनियातिवाडी, तहसील व जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

रमेश पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी अरनियातिवाडी तहसील व जिला टोंक

प्रतिपक्षी

उपस्थित– श्री भजनलाल सैनी–वकील प्रार्थी

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सीपीसी)

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 104, 134, 160/1, 160/2 कुल किता–4 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम अरनियातिवाडी, तहसील व जिला टोंक में प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश था और उक्त वाद के साथ एक प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया था जिसमें दिनांक 01.05.2018 को प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि वे मूंल वाद के निर्णय तक विवादित आराजीयात वाके ग्राम अरनियातिवाडी के खाता सं. 62 संवत 2073–76 कुल किता–4 कुल रकबा 7–11 बीघा में मजाहमत नही करें। उक्त प्रकरण में प्रतिपक्षी सं. 2 के रूप में पक्षकार है जो खुले आम मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना कर रहा है वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत कर रहा है तथा जबरन प्रार्थी को उक्त भूमि में उगी हुई फसल को काटने में बाधा कारित कर रहा है, जिसकी प्रतिपक्षी को कोई हक ,व अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी अप्रार्थी को है, किन्तु उसके उपरांत भी वह निरंतर मौके की स्थिति में परिवर्तन कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत कर रहा है। जो न्यायालय आदेश की खुले आम अवहेलना अर्थात अवमानना की श्रैणी में आता है। जिसके लिये प्रतिपक्षी सं. 2 अप्रार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किया जाना उचित एंव न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2018 की खुले रूप से अवमानना करने के बाबत सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एंव अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो प्रार्थी को प्रदान फरमाये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिपक्षी के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए गवाह लादूराम पुत्र श्रीराम जाति बैरवा निवासी ठीकरिया तहसील टोंक एंव श्री पांचू पुत्र जोधा जाति बैरवा निवासी अरनियातिवाडी तहसील टोंक एंव श्री कजोडमल पुत्र श्रवणलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम हयातपुरा तहसील टोंक के शपथ–पत्र पेश किये गये।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यालय हाजा के आदेश दिनांक 01.05.2018 से यह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी सं. 2/अप्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 104, 134, 160/1, 160/2 कुल किता–4 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम अरनियातिवाडी, तहसील व जिला टोंक में जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वह मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजीयात वाके ग्राम अरनियातिवाडी के खाता सं. 62 संवत 2073–76 कुल किता–4 कुल रकबा 7–11 बीघा में मजाहमत नही करें। इस बाबत कोई दस्तावेजात जैसे फोटोग्रॉफ, पुलिस रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट आदि पेश नहीं किये हे जिससे यह साबित हो कि प्रतिपक्षी सं. 2 न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना कर रहा है वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत कर रहा है तथा जबरन प्रार्थी को उक्त भूमि में उगी हुई फसल को काटने में बाधा कारित कर रहा है। साथ ही न्यायालय आदेश अप्रार्थी को दी गयी रसीद की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी अप्रार्थी को है, किन्तु उसके उपरांत भी वह निरंतर मौके की स्थिति में परिवर्तन कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत कर रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाहान के शपथ–पत्र से जीरह नहीं होने से शपथ–पत्रों की तस्दीक नहीं हो पायी है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता भारहीन एंव सारहीन हो गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner